न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 18/2013

श्री अत्ता मोहम्मद पुत्र श्री अहमद नूर निवासी ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर। ..... *अपीलान्ट*

बनाम

उप–जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट विरूद्ध आदेश उप जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

निर्णय दिनांक 22.3.2013

उपस्थितः– 1. श्री लेखू मंघानी — अभिभाषक अपीलान्ट
2 अपर लोक अभियोजक — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक – 18.03.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि एस.एल.डी.एम.एल गन नम्बर 2424 बाबत अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 26/97 रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी किया गया था। समयबद्ध नवीनीकृत होकर अन्त में 18.11.2012 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट द्वारा इसे आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण हेतु निर्धारित अवधि में रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर, थानाधिकारी रामगंज, अजमेर से रिपोर्ट तलब की गई। उन्होने रिपोर्ट में अपीलान्ट के नाम प्रकरण संख्या 438/09 (422/2004) अन्तर्गत धारा 147, 323/149, 427, 379 आई.पी.सी. दर्ज होकर जैर ट्रायल होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा–पत्र आगे की अवधि के लिए नवनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई। जिसके आधार पर उप–जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा आदेश अपीलान्ट के नाम जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 26/97 को आगे नवीनीकरण नहीं कर आदेश दिनांक 22.3.2013 द्वारा निरस्त कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट के इसी आक्षेपित आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार (ए.पी.पी.) उपस्थित आये। तत्पश्चात प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा एस.एल.डी.एम.एल गन नम्बर 2424 हेतु अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 26/97 जारी किया गया। जिसका नवीनीकरण नियमित रूप से करवाया जा रहा था। अन्त में 18.11.2012 तक नवीनीकृत था। आगामी अवधि हेतु नवीनीकरण हेतु अपीलान्ट द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर थानाधिकारी रामगंज, अजमेर से अपीलान्ट के चरित्र सम्बन्धी रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी रामगंज द्वारा अपीलान्ट के चरित्र बाबत कोई विपरित रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई। उनके द्वारा रिपोर्ट में अपीलान्ट के नाम प्रकरण संख्या 438/09 (422/2004) अन्तर्गत धारा 147, 323/149, 427, 379 आई.पी.सी. दर्ज होकर जैर ट्रायल होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा–पत्र आगे की अवधि के लिए नवनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर उप–जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 26/97 को आदेश दिनांक 22.3.2013 से निरस्त कर दिया गया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) के तहत आक्षेपित आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेन्ट द्वारा थानाधिकारी रामगंज, अजमेर की रिपोर्ट को आधार बनाकर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

आक्षेपित आदेश पारित किया गया जो "स्पीकिंग आदेश" की श्रेणी में नही आता है। आर्म्स एक्ट की 1959 की धारा 17 (3) (बी) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेन्स उन्हीं परिस्थितियों में निलम्बित/रिवोक किया जा सकता है, जहॉ जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हों। अपीलान्ट के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कोई मामला विचाराधीन नहीं था। उनके द्वारा लाईसेंस शुदा हथियार का दुरूपयोग भी नहीं किया गया। रिपोर्ट में जिन मुकदमें का जैर ट्रायल होना अंकित किया गया, उनका निर्णय दिनांक 27.1.2012 को होकर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जा चुका था। अपीलान्ट को किसी भी मामले में दोषी करार या दण्डित नहीं किया गया। केवल फौजदारी मुकदमा विचाराधीन होने तथा दोष सिद्धि के आधार पर हथियार लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 110, 115(3) या 151 के तहत शान्ति बनाये रखने हेतु बॉण्ड भरवाकर पाबन्द भी नहीं किया गया फिर भी फौजदारी मुकदमा लम्बित बताकर हथियार लाईसेंस निरस्त किया जाना विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उप–जिला मजिस्ट्रेट का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.3.2013 निरस्त फरमाया जावें, तथा अपीलान्ट का लाईसेंस आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किये जाने के आदेश रेस्पोडेन्ट को प्रदान करावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने कथन किया कि पुलिस थाना रामगंज अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना मांगलियावास में मुकदमा नं0 92/04 आईपीसी की धारा 147, 323, 149, के तहत तथा मुकदमा नं0 112/08 अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, आईपीसी में पंजीबद्ध किया जाकर चालान पेश होकर न्यायालय में विचाराधीन होने की रिपोर्ट पर अपीलान्ट को नोटिस जारी कर साक्ष्य सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त दर्ज मुकदमों बाबत कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये जाने पर ही रेस्पोडेन्ट द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया जो कि विधिक प्रावधानों के तहत होने से इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। अपील अपीलान्ट भारहीन व सारहीन होने से किसी भी प्रकार से पोषणीय नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमानुसार सम्बन्धित थाना से जांच रिपोर्ट तलब की गई। अपीलान्ट के विरूद्ध आई पी सी की धारा 147, 323/149, 427, 379 दो प्रकरण दर्ज होकर जैर ट्रायल होने की प्राप्त रिपोर्ट/अनुशंषा के आधार पर उप–जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलान्ट द्वारा उनके विरूद्ध उक्त दर्ज फौजदारी प्रकरणों बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया। आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत पारित आदेश में कोई कानूनी त्रूटि अथवा विधि विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के तथ्य प्रकट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपीय आदेश 22.3.2013 यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner